Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों नीशू व सुनील को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2012 में अभियुक्तों 1-नीशू पुत्र सतीश व 2-सुनील पुत्र धारे निवासी ग्राम तितरौदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा हत्या करने का प्रयास करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 312/12 धारा 307/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 06.06.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-01 जनपद बागपत द्वारा दोषी पाते हुए अभियुक्तों नीशू व सुनील को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

@baghpatpolice | baghpatpolice | Baghpat Police

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर **दिनाँक 06.06.2024**

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वांरटी/अभियुक्त का नाम व पता-

मनोज पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम भगौट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-का0 938 जसवन्त सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनाँक 06.05.2024

थाना दोघट पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वांरटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-बिट्टू कुमार पुत्र वेद सिंह निवासी ग्राम हिम्मतपुर सूजती थाना दोघट जनपद बागपत।

2-सोनू पुत्र ओमसिंह निवासी ग्राम हिम्मतपुर सूजती थाना दोघट जनपद बागपत।

3-बालिस्टर पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम हिम्मतपुर सूजती थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना दोघट जनपद बागपत।

2-है0का0 239 विपिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 06.06.2024**

थाना बिनौली पुलिस व सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 154/24 धारा 302/201 भादवि का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 01 बाल अपचारी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 04.06.2024 को थाना बिनौली पर वादी अख्तर अली पुत्र रशीद अहमद निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसकी पुत्री बडी मस्जिद बिनौली में अपने भाई के साथ गयी थी तथा वह अपने भाई से बताकर बडी मस्जिद बिनौली से घर के लिए चली आयी। जब उसका लडका घर वापस आया तो पता चला कि उसकी बेटी घर वापस नहीं पहुची। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 154/24 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था एवं विवेचना की कार्यवाही आरंभ की गयी।

नोट- दिनांक 05.06.2024 को सत्यप्रकाश गोयल निवासी कस्बा बिनौली की सूचना पर अपर्हता का शव कस्बा बिनौली में मृत अवस्था में बरामद हुआ तथा उक्त अभियोग को धारा 302/201 भादवि में तरमीम किया गया।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी नगर बागपत के नेतृत्व में घटना का सफल अनावरण हेतु थाना बिनौली पर पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम एंव सर्विलांस टीम द्वारा मु0अ0सं0 154/24 धारा 302/201 भादवि का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 01 बाल अपचारी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारी द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मृतका (मेरी बहन) आये दिन मेरी मम्मी व पापा से झूठी शिकायत करती थी, जिससे मुझे रोज डांट पड़ती थी, जिससे मैं काफी परेशान था। दिनांक 04.06.2024 को मम्मी बरनावा मौसी के यहां गयी थी। जब मम्मी लौट कर आयी तो मृतका (मेरी बहन) ने मम्मी से मेरी शिकायत की कि इसने मेरा गला दबाया और मुझे पीटा है तो मम्मी ने मुझे मारा और डांटा था। उसी समय मैनें मृतका (मेरी बहन) को मारने की ठान ली और दिनांक 04.06.2024 को मैं उसे मस्जिद में पढ़ने के बहाने घर से ले गया और दुपट्टे से उसके गले को दबाकर हत्या कर दी।

उपरोक्त अभियोग के वादी अख्तर द्वारा दोनों बच्चे (लड़का व लड़की) को अलग-अलग समय पर अलग-अलग परिवारों से गोद लिया गया था, जिनकी परवरिश वादी अख्तर व उसकी पत्नी द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-प्र0नि0 महेन्द्र पाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-प्रभारी सर्विलांस सैल श्री मनोज चहल मय टीम।

3-निरीक्षक श्री ओमप्रकाश आर्य थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-म0उ0नि0यूटी श्रीमती सीमा थाना बिनौली जनपद बागपत।

5-म0उ0नि0यूटी मोना शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत।

6-है0का0 573 बालकिशन थाना बिनौली जनपद बागपत।

7-का0 1002 तरूण कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

8-का0 813 दोसेन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 06.06.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 386/24 धारा 147/148/149/504/341/452/307 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 08.05.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर श्री सत्यपाल सिंह पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम कानौली थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-राहुल, 2-अरुण पुत्रगण सूरज, 3-सूरज पुत्र फते, 5-महेन्द्र पुत्रगण फते, 6-मनीष, 8-नवल पुत्रगण महेन्द्र, 9-दीपक पुत्र रामकला, 10-निखिल पुत्र रामकुमार व 03 महिला निवासीगण ग्राम कानौली थाना कोतवाली बागपत द्वारा उसके घर में घुसकर एक राय होकर धारदार हथियारों से गाली-गलौच करते हुए उसके व उसके परिजनों पर जान लेवा हमला किया जिसमें उसे व उसके परिजनों को गम्भीर चोटें आयीं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 386/24 धारा 147/148/149/504/341/452/307 भादवि पंजीकृत किया गया।.

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा

थाने के मु0अ0सं0 386/24 धारा 147/148/149/504/341/452/307 भादवि में वांछित नामित राहुल को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 17-05-2024 को अभियुक्त अरुण पुत्र सूरज निवासी ग्राम कानौली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार करने वालीस पुलिस टीम-

1. निरी0 क्राइम श्री रामकुमार कुन्तल थाना बागपत जनपद बागपत ।
2. का0 982 नीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3. म0का0 523 गरिमा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।